

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

दिनांक- 09.11.2022

क्रमांक- 1636

निविदा सूचना 2022-23

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) का डिलिवरी पॉइंट एवं अस्पताल का सफाई कार्य मय सामग्री हेतु सफाई कर्मी उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहों/संवेदकों से ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

नाम, कार्य	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रोसर्सिंग शुल्क	निविदा डोक्यूमेन्ट अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
साफ-सफाई कार्मिक जॉब वेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत।	1550000	31000	500	500	23.11.2022 / 10.00 A.M.	23.11.2022 / 12.15 P.M.

UBN-

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

क्रमांक- 1636

दिनांक- 09-11-2022

प्रतिलिपि:- निम्न को डी.पी.आर. दरो पर प्रकाशन हेतु:-

- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय मुख्य समाचार पत्र में तथा एक क्षेत्रिय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डीपीआर दर पर प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा /उपकोष कार्यालय नीमकाथाना।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक— 2022-23/

दिनांक—

तकनीकी बिड (स्टेज-1)

विषय:- जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-
निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर:-
2. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक:-
4. हम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..... दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
5. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण:-

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नहीं	रजि.स.एवं वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	ई-टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 500/- जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर..... दिनांक..... राशि..... प्रस्तुत किये जाने का विवरण				
2.	ई-टेप्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 500 जमा कराने का ई-ग्रास चालान नम्बर..... दिनांक..... राशि रूपये प्रस्तुत किये जाने का विवरण				
3.	सूचना में अंकित धरोहर राशि रु..... का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर..... दिनांक..... का विवरण				
4.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 पंजीयन प्रमाण पत्र				
5.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 पंजीयन प्रमाण पत्र				
6.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 पंजीयन प्रमाण पत्र				

/ विविदा

7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर- शीप 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				
8.	पेन कार्ड (आयकर)				
9	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र				
10	किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र				

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

9. कार्यअनुभव(मेनपावर उपलब्ध कराने) का विवरण

क्र. स.	संस्था / कार्यालय का नाम	कार्य की लागत	कार्यअनुभव के वर्ष

अनुभव प्रमाण— पत्रों के संबंध में सत्यापित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

10. प्रति वर्ष का वित्तीय टर्न ओवर का विवरण (गत तीन वर्षों का)

2019–20.....

2020–21.....

2021–22.....

वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर का प्रमाण—पत्र निविदा के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

11. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

1.....

2.....

3.....


12. हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

13. हमें जानकारी है कि निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क का चालान वित विभाग के परिपत्र प. 6(5) वित्त / साविलेनि / 2018 दिनांक 27.04.2020 / 09.07.2020 के अनुसार **RISL HEAD 8658-00-102-(16)-(01)** मे ई-ग्रास के माध्यम से जमा करा कर चालाम की प्रमाणित प्रति तथा धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक एवं ई-ग्रास चालान की स्केन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड कर दी गयी है।

4
। विविदा

न सहमत है कि विकित्सालय अति संवेदनशील संस्था हैं निविदादाता द्वारा निर्धारित जाब वेसिस कार्य हेतु आवश्यक मांग की गई संख्या में मेन पॉवर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा किसी भी कर्मकार के अवकाश पर / अनुपरिथित रहने पर उसके स्थान पर दूसरे कर्मकार को तत्काल नियोजित करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे / हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो जिला कार्यालय को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

मो० न०.—.....

नोट:-

1. उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं उसके आगे हॉ या नहीं/ उसके जारी होने की तिथि/ वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक हैं इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अंभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया:-
 1. परिशिष्ट (अ) तकनीकी बिड हैं तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।
 2. परिशिष्ट (ब) प्राईस बिड हैं तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी ।
 3. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

निविदा प्रपत्र-प्राईस बिड (स्टेज-2)

विषय:- जॉब बेसिस पर सफाई कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए वित्तिय निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-

2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर:-
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक:-
5. निविदा शुल्क की राशि.....अक्षरे..... नगर (रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर्स चैक नं.) दिनांक के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. मुझे निविदा (वित्तिय बिड) के साथ संलग्न शर्त मंजूर है।
8. उपर्युक्त अंकित दर एक वर्ष तक वैध है।
9. जॉब बेसिस पर कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य/सेवा की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव, संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति/मानव संसाधन दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत (सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर भुगतान देय होगा)	ई.एस.आई. दर प्रतिशत (सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर भुगतान देय होगा)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रु. में)	कुल राशि(प्रति व्यक्ति/मानव संसाधन दर	सफाई सामग्री की राशि एवं उपकरण किराया प्रतिमाह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाईकर्मी(अकुशल)	10	6734/-रु		13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			

विभागीय निर्देशः-

1. श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा चिकित्सालय में उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों (श्रमिकों) को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दरे देवें। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरों में न्यूनतम मजदूरी से कम दरों के प्रस्ताव दिये जाते हैं तो निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। न्यूनतम मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी।
2. सेवा प्रदाता द्वारा सफाई सामग्री की राशि एवं उपकरण किराया व्यावहारिक होना चाहिए इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. उपर्युक्त तालिका में स्तंभ संख्या 01 से 04, 06 व 07 की पूर्तियां उपापन संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं तथा शेष स्तंभ संख्या 05, 08, 09 व 10 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां दर्ज की जा सकेंगी।
4. जी.एस.टी. नियमानुसार निर्धारित दरों से पृथक भुगतान की जावेगी।
5. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज की राशि शुन्य में मान्य नहीं होगी (पूर्णांक में ही मान्य होगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

WILSON

परिशिष्ट 'ब'

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो विभाग को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) को प्रदत्त करते/करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

मोबाइल नम्बर—.....

1/1/2022

निविदा की सामान्य शर्तें

1. ई-निविदा ही स्वीकार की जावेगी।
2. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए अनुबन्धित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है, इसके उपरान्त दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढ़ाई जा सकती है।
3. निविदादाता / संस्था / फर्म / ऐजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों के अद्वैशासकीय कार्यालय में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ निविदा पत्र के साथ अपलोड करनी हैं।
4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो कि सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) का नीमकाथाना शाखा में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 3 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जप्त करली जावेगी। धरोहर का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 2.5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./ बी.सी के जरिये जमा करनी होगी।
5. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों का दक्षता टेस्ट लिया जायेगा जिसमें चयनित कार्मिकों को ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
6. किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट में रिकवरी होने पर संवेदक जमा करवाने हेतु बाध्य होगा।
7. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली की दरें एक समान रहने की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
8. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
10. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
11. दरों को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
12. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक है। साथ ही ई.एस.आई.वी.पी.एफ.विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड करने होंगे। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
13. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
14. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
15. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने / अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।
17. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों को पहचान / परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
18. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा निविदा से सम्बन्धित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु निविदादाता को कार्य स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के

।।।।।

लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड द क्लॉक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के सम्पर्क में रहेगा। अधिकृत व्यक्ति प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जाने निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

19. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।
20. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जाएंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध न कराने की स्थिति में निम्नानुसार शास्ति देय होगी:—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत।
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए	5 प्रतिशत।
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए	7.5 प्रतिशत।
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत।
21. निविदादाता का श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
23. निविदा अनुमोदित होने पर सफल बोलीदाता संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा अनुमानित मूल्य के 0.25 प्रतिशत/500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।
24. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से करना होगा चाहे विभाग से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो।
25. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार बोली स्वीकृतकर्ता प्राधीकारी को होगा।
26. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/ चिकित्सा विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
27. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यक्ति होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें चिकित्सा विभाग/ प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो विभाग पर पड़ने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।
28. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
29. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।
30. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/ संशोधन आदेशों के अनुरूप आयकर(टी.डी.एस.) जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।

31. प्रशासनिक दृष्टि से नियमित राजकीय कर्मचारियों के पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण से उपरोक्त जॉब कार्य करवाने की स्थिति में परिवर्तन होने पर स्वीकृत निविदादाता को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के दिये गये निर्देशों के अनुसार जॉब कार्य करवाने के लिये बाध्य होगा।
32. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही नीमकाथाना के न्यायालयों में ही होगी।
33. सेवा प्रदायकर्ता को अनुबन्ध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसे द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होगे।
34. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मकारों की संख्या को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को होगा।
35. कार्यालय द्वारा अनुमोदित फर्म को बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की जावेगी। प्रतिमाह अनुमोदित फर्म को धनराशि जारी करने से पूर्व गत माह कार्मिकों को जारी किये गये भुगतानों को विवरण/चैकों का विवरण अनुमोदित फर्म द्वारा विभाग को प्रस्तुत करना होगा। जिससे संतुष्ट होने पर विभाग द्वारा शेष धनराशि का ऑनलाईन भुगतान जारी किया जावेगा।
36. यदि अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों से किसी भी प्रकार के भुगतान से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जावेगा। उसके उपरान्त ही भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
37. सेवाओं में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 7 दिवस के लिए कार्य में अपेक्षित सुधार का नोटिस दिया जावेगा। सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए अनुमोदित फर्म/ फर्म को काली सूची में डालकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।
38. बिल के साथ पूर्ववर्ती माह का पीएफ/ईएसआई/ के चालान जमा की प्रति एवं श्रमिकवार विवरण संलग्न करना होगा।
39. प्रत्येक माह ईएसआई/ईपीएफ का मासिक ईसीआर आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा विभाग के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रति माह लगानी होगी तथा निविदा कार्य समाप्त होने के एक माह में कुल ईएसआई/ईपीएफ जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
40. बिल एवं बिल के साथ संलग्नको पर निविदादाता अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।
41. निविदादाता संबंधित जॉब कार्य के कर्मकारों को स्वयं के स्तर से प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय का विवरण/स्लिप उपलब्ध करायेगा।
42. कर्मकार को न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने तथा ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. का अंशदान संबंधित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म या निविदादाता की होगी।
43. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आये जाने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने को निर्देश सेवाप्रदाय कर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
44. निविदादाता भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
45. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड 1 भाग 2 नियम 68 एसआर 15 के आवश्यक प्रावधान इस निविदा में शामिल होगे।
46. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के तहत सत्य निष्ठा संहिता (नियम 80) हित का विरोध (नियम 81) (नियम 82) तथा धारा 38 इस निविदा प्रारूप के भाग होंगे।

1/1/2018

47. संस्थान द्वारा कार्मिकों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार प्रातःकालीन/सांयकाल/रात्रिकालीन पारी में निर्देशानुसार किया जावेगा। उसी अनुसार निविदादाता को कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे। sncu वार्ड हेतु अलग से कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे।
48. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य रथल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेंगे। जिस पर संवेदक का नाम, संविदा अधिक, कार्य की प्रगति, कार्मिकों हेतु हैल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधित प्रावधान का विवरण अंकित होगा। वर्दी पर कर्मचारी का नाम अंकित होना चाहिये तथा फॉटोयुक्त परिचय पत्र प्रदर्शित रहना चाहिये।
49. कार्मिकों को चिकित्सालय के निर्देशानुसार कार्य करना होगा कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संवेदक के मासिक भुगतान से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
50. केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी की दरों में परिवर्तन करने पर तदनुसार जी.एस.टी. का पुर्नभरण किया जावेगा। फर्म का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक:-

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 50 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

1/1/2018

सफाई कार्य की विशिष्ट शर्तें -

1. अस्पताल सफाई व्यवस्था में अस्पताल परिसर में स्थित सभी कमरों / गाड़ीयथा डॉक्टर्स ऑपीडी चैम्बर, महिला एवं पुरुष भर्ती वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, एनबीएसयू, लेबर रूम, ऑपरेशन थियटर, जेएसवाई वार्ड, एविसडेट इमरजेंसी, एक्स - रे, लेबोरेट्री, टीकाकरण, मोर्चरी आदि के कमरों एवं चिकित्सालय के अन्य समस्त कक्ष, अन्दर बाहर की गैलेरियों एवं इनकी जालियों, खिडकी, दरवाजों एवं इनके पास स्थिति बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढ़ीयों रैम्प्स एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (धारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। खिडकी रोशनदान, किवांड, दिवारों की टाइल्स वैगरह, जिसमें सभी स्थानों पर झाड़ू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पौछा लगाना, अस्पताल के समस्त शौचालयों व स्नानाग्रहों की सफाई, वास बैसिनों की सफाई, पान व गुटखा की पीक आदि की सफाई सम्मिलित है।
2. सफाई व्यवस्था 24 घण्टे करनी होगी इस हेतु प्रातः कालीन/सांय कालीन एवं रात्रि कालीन परी में आवश्यक सफाई कार्मिकों की संख्या का निर्धारण स्वयं अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जावेगा। जहाँ आवश्यक होगा निविदादाता को महिला सफाई कर्मी उपलब्ध करवाना होगा।
3. यदि अस्पताल में किसी दिन सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो उस दिवस के लिये मासिक भुगतान में से कटौती का निर्धारण कथ समिति द्वारा किया जावेगा।
4. यदि आपके पक्ष में टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात व आपके द्वारा कार्य शुरू करने के बाद बीच में यदि आपके द्वारा कार्य बन्द किया गया तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. सफाई कार्य का अनुबन्ध दर स्वीकृति के 7 दिवस में 500/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
6. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेंगे। जिस पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगती, श्रमिकों हेतु हैल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधित प्रावधान का विवरण अंकित होगा। सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपस्थित होंगे। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित होना चाहिये तथा फॉटोयुक्त परिचय पत्र प्रदर्शित रहना चाहिये।
7. कार्य अवधि में सफाई कार्य हेतु काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाड़ू, पौछा, एसिड, सोडा, साबुन का घोल, डिट्टेजेन्ट, फिनाईल तथा शौचालयों एवं वास बैसिन के लिये नेफथ्लीन बॉल्स की गौलियां आदि) की सभी वार्ड में आपूर्ती ठेकेदार को ही करनी होगी।
8. परिसर की कॉटेदार एवं बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालना होगा। परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर उठवाना होगा।
9. सफाई कार्य निर्धारित स्तर एवं संतोषजनक नहीं होने पर संबंधित वार्ड प्रभारी/नर्सिंग अधिक्षक/सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई कार्य करवाना होगा।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 9 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुबंध—पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को प्रथम पक्ष सदस्य सचिव मैडिकेयर रिलिफ सोसायटी नीमकाथाना एवं द्वितीय पक्ष के बीच डिलिवरी पॉइंट एवं अस्पताल का सफाई कार्य मय सामग्री, हेतु किया जा रहा है। इस अनुबंध पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए निम्नलिखित शर्तें मान्य होंगी:-

1. कार्य की अवधि कार्यादेश रखीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए अनुबंधित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है, इसके उपरान्त दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढ़ाई जा सकती है।
2. संरथान द्वारा कार्मिकों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार प्रातःकालीन/सांयकाल/रात्रिकालीन पारी में निर्देशानुसार किया जावेगा। उसी अनुसार निविदादाता को कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे।
3. किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट में रिकवरी होने पर संवेदक जमा करवाने हेतु बाध्य होगा।
4. सफल निविदादाता द्वारा अवश्यक एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
6. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
7. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
8. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
9. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने / अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।
10. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा निविदा से सम्बन्धित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु निविदादाता को कार्य स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशासन के द्वारा समय—समय पर दिये जाने निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जाएंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध न कराने की स्थिति में निम्नानुसार शास्ति देय होगी:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत।
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए	5 प्रतिशत।
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए	7.5प्रतिशत।
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत।

13. निविदादाता का श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में PMO को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से करना होगा चाहे विभाग से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो।
16. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार बोली स्वीकृतकर्ता प्राधीकारी को होगा।
17. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/ चिकित्सा विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
18. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यक्ति होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें चिकित्सा विभाग/ प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो विभाग पर पड़ने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।
19. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
20. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।
21. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप आयकर(टी.डी.एस.) जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
22. प्रशासनिक दृष्टि से नियमित राजकीय कर्मचारियों के पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण से उपरोक्त जॉब कार्य करवाने की स्थिति में परिवर्तन होने पर स्वीकृत निविदादाता को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के दिये गये निर्देशों के अनुसार जॉब कार्य करवाने के लिये बाध्य होगा।
23. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही नीमकाथाना के न्यायालयों में ही होगी।
24. सेवा प्रदायकर्ता को अनुबन्ध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईंज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसे द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होगे।
25. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मकारों की संख्या को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को होगा।
26. कार्यालय द्वारा अनुमोदित फर्म को बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जावेगी। प्रतिमाह अनुमोदित फर्म को धनराशि जारी करने से पूर्व गत माह कार्मिकों को जारी किये गये भुगतानों को विवरण/चैकों का विवरण अनुमोदित फर्म द्वारा विभाग को प्रस्तुत करना होगा। जिससे संतुष्ट होने पर विभाग द्वारा शेष धनराशि का ऑनलाईन भुगतान जारी किया जावेगा।

27. यदि अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों से किसी भी प्रकार के भुगतान से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जावेगा। उसके उपरान्त ही भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
28. सेवाओं में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 7 दिवस के लिए कार्य में अपेक्षित सुधार का नोटिस दिया जावेगा। सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए अनुमोदित फर्म/ फर्म को काली सूची में डालकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।
29. बिल के साथ पूर्ववर्ती माह का पीएफ/ईएसआई/ के चालान जमा की प्रति एवं श्रमिकवार विवरण संलग्न करना होगा।
30. प्रत्येक माह ईएसआई/ईपीएफ का मासिक ईसीआर आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा विभाग के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रति माह लगानी होगी तथा निविदा कार्य समाप्त होने के एक माह में कुल ईएसआई/ईपीएफ जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को निविदादाता द्वारा उपलब्ध करना होगा।
31. बिल एवं बिल के साथ संलग्नको पर निविदादाता अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।
32. निविदादाता संबंधित जॉब कार्य के कर्मकारों को स्वयं के स्तर से प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय का विवरण/स्लिप उपलब्ध करायेगा।
33. कर्मकार को न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने तथा ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. का अंशदान संबंधित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म या निविदादाता की होगी।
34. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आये जाने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने को निर्देश सेवाप्रदाय कर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
35. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड 1 भाग 2 नियम 68 एसआर 15 के आवश्यक प्रावधान इस निविदा में शामिल होगे।
36. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के तहत सत्य निष्ठा संहिता (नियम 80) हित का विरोध (नियम 81) (नियम 82) तथा धारा 38 इस निविदा प्रारूप के भाग होंगे।
37. केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. की दरों में परिवर्तन करने पर तदनुसार जी.एस.टी. का पुर्नभरण किया जावेगा। फर्म का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
38. अस्पताल सफाई व्यवस्था में अस्पताल परिसर में स्थित सभी कमरों /वार्डों यथा डॉक्टर्स ओपीडी चैम्बर, महिला एवं पुरुष भर्ती वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, एनबीएसयू लेबर रूम, ऑपरेशन थियटर, जॉएसवाई वार्ड, एक्सिडेंट इमरजेंसी, एक्स -रे, लेबोरेट्री, टीकाकरण, मोर्चरी आदि के कमरों एवं चिकित्सालय के अन्य समर्त कक्ष, अन्दर बाहर की गैलेरियों एवं इनकी जालियों, खिडकी, दरवाजों एवं इनके पास स्थित अन्य समर्त कक्ष, अन्दर बाहर की गैलेरियों एवं इनकी जालियों, रैम्प्स एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढ़ीयों रैम्प्स एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। खिडकी रोशनदान, किवांड, दिवारों की टाइल्स वैगरह, जिसमें सभी स्थानों पर झाड़ू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पौछा लगाना, अस्पताल के समस्त शोचालयों व स्नानाग्रहों की सफाई, वास बैसिनों की सफाई, पान व गुटखा की पीक आदि की सफाई सम्मिलित है।
39. सफाई व्यवस्था 24 घण्टे करनी होगी इस हेतु प्रातः कालीन/सांय कालीन एवं रात्रि कालीन पारी में आवश्यक सफाई कार्मिकों की संख्या का निर्धारण स्वयं अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जावेगा। जहाँ आवश्यक होगा निविदादाता को महिला सफाई कर्मी उपलब्ध करवाना होगा।
40. यदि अस्पताल में किसी दिन सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो उस दिवस के लिये मासिक भुगतान में से कटौती का निर्धारण क्रय समिति द्वारा किया जावेगा।
41. यदि आपके पक्ष में टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात व आपके द्वारा कार्य शुरू करने के बाद बीच में यदि आपके द्वारा कार्य बन्द किया गया तो धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
42. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेंगे। जिस पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगती, श्रमिकों हेतु हैल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत

11/11/2023

- करने संबंधित प्रावधान का विवरण अंकित होगा। सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपस्थित होंगे। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित होना चाहिये तथा फॉटोयुक्त परिचय पत्र प्रदर्शित रहना चाहिये।
43. कार्य अवधि में सफाई कार्य हेतु काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाड़ू, पौछा, एसिड, सोडा, साबुन का घोल, डिटर्जेंन्ट, फिनाईल तथा शौचालयों एवं वास बैसिन के लिये नेफ्थलीन बॉल्स की गौलियां आदि) की सभी वार्डों में आपूर्ती ठेकेदार को ही करनी होगी।
44. परिसर की कॉटेदार एवं बिना कांटोदार झाड़ियों को खोदकर निकालना होगा। परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर उठवाना होगा।
45. सफाई कार्य निर्धारित स्तर एवं संतोषजनक नहीं होने पर संबंधित वार्ड प्रभारी/नर्सिंग अधिक्षक/सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई कार्य करवाना होगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

क्रमांक- 2022-23 / 1636

ई-निविदा आमंत्रण सूचना-2022-23


राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency In Public procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurement Rule 2013 तहत कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में डिलिवरी पॉइंट एवं अस्पताल का सफाई कार्य मय सामग्री, हेतु सफाई कर्मी उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्तिकर्ताओं/स्वयंसहायता समूहों/संघेदकों से निम्नानुसार ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	डिलिवरी पॉइंट एवं अस्पताल का सफाई कार्य मय सामग्री, हेतु सफाई कर्मी उपलब्ध कराना।	1550000	31000
	निविदा शुल्क	500	—
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क(RISL Processing Fees)	500	—

ई-निविदा कार्यक्रम

1.	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय	10.11.2022	दोपहर 12.00 बजे
2.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय	10.11.2022	दोपहर 12.00 बजे
3.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	23.11.2022	10.00 A.M.
4.	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क चालान (RISL Processing Fees) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	23.11.2022	11.30 A.M.
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	23.11.2022	12.15 P.M.
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा में सफल संघेदकों को बाद में सूचित किया जायेगा	

ऑन-लाईन बिडिंग के लिए निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 23.11.2022 11.30 A.M. तक निविदा शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) के नाम देय हों तथा ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/- रुपये ई-ग्रास के माध्यम से चालान जमा करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना